

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक:—अति.मु.न.नि./रा.आ.म./जयपुर/2019-20/207

दिनांक: 16-09-2019

कार्यालय—आदेश

राजस्थान आवासन मण्डल की 238वीं बैठक दिनांक 30.09.2019 के विचार बिन्दु संख्या 238.25 में लिए गए निर्णय की अनुपालना में एकीकृत भवन विनियम-2017 तथा इस संबंध में राज्य सरकार स्तर पर समय-समय पर जारी अधिसूचना/परिपत्र/आदेश, इत्यादि के अनुसार मण्डल की योजनाओं में किसी भूखण्ड/आवास का एक से अधिक भागों में उपविभाजन एवं दो या दो से अधिक भूखण्डों/आवासों का पुनर्गठन राजस्थान आवासन मण्डल के स्तर पर तुरन्त प्रभाव से अनुज्ञेय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

इस आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जावे।

CEH/836
16/9/19

PS/TA/RE(HQ)/JACA
16/9/19

आवासन आयुक्त
राजस्थान आवासन मण्डल

प्रतिलिपि:—

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव—आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. मुख्य अभियन्ता—प्रथम/द्वितीय/मुख्यालय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. अति. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. अति. मुख्य अभियन्ता प्रथम/द्वितीय (जोधपुर)/तृतीय/सी.एम.—ए.वी.एस.एल.सी. राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. उप आवासन आयुक्त, वृत्त—जयपुर—प्रथम/द्वितीय/तृतीय, वृत्त—जोधपुर—प्रथम/द्वितीय/बीकानेर/कोटा/उदयपुर/अलवर, गुणवत्ता नियंत्रण, राजस्थान आवासन मण्डल।
8. मास्टर फाईल।

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक